

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA)

[Arbitration Case No.-169/2023]

Rita Devi.....Petitioner.

Versus

The State of BiharOpposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date																		
1	2	3	4																		
	13.06.2025	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>यह Arbitration वाद राष्ट्रीय राजमार्ग 107 (महेशखुँट-सोनवर्षा राज-सहरसा-मधेपुरा-पुर्णियां खण्ड) (कि०मी० 30.150 से कि०मी० 83.750 तक) के चौड़ीकरण परियोजना हेतु सहरसा जिला अन्तर्गत अंचल-कहरा, मौजा-पटुआहा (थाना नं०-187) स्थित Petitioner के प्रश्नगत भूमि के भूमि अर्जन की कार्रवाई में निर्धारित की गई मुआवजा राशि (Compensation Amount) के विरुद्ध National Highway Act.-1956 के धारा 3G(5) के अंतर्गत दायर किया गया है।</p> <p>प्रश्नगत जमीन के भू-अर्जन की विवरणी निम्नानुसार है:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>मौजा/ थाना</th><th>खाता/ खेसरा</th><th>रकवा (ए०)</th><th>भूमि की प्रकृति</th><th>Date of 3A</th><th>Date of 3D</th><th>दर (प्रति एकड़ि)</th><th>कुल मुआवजा (रुपये)</th><th>अध्युक्ति</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>पटुआहा/ 187</td><td>209/ 631</td><td>0. 022 69</td><td>कृषि</td><td>06.05. 2015</td><td>02.05. 2016</td><td>32,86,744/-</td><td>1,91,228.35</td><td>पंचाट सं०-8</td></tr> </tbody> </table> <p>दिनांक-30.05.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। अभिलेख्य, वाद पत्र, DLAO, Saharsa (CALA) तथा P.D. NHAI के विद्वान अधिवक्ता के जवाब एवं अन्य संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।</p> <p>Petitioner के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उपरोक्त वर्णित परियोजना (NH-107 चौड़ीकरण) हेतु Petitioner की उपरोक्त वर्णित जमीन (कुल रकवा-०. 02269 ए०) अर्जित किया गया। भूमि अर्जन के समय अर्जित भूमि का किस्म आवासीय दिखाकर मूल्यांकन सूची में अर्जित भूमि औद्योगिक/व्यवसायिक का मूल्य प्रति डी० मो० 6,50,000/- (छ: लाख पचास हजार) रुपये निर्धारित किया गया। बाद में सक्षम पदाधिकारी-सह-जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा द्वारा गलत एवं नाजायज रूप से उक्त जमीन को कृषि योग्य दिखाकर मो० 1,91,288/- (एक लाख इकानवे हजार दो सौ अठासी) रुपये मूल्य ऑका गया। आवेदक द्वारा आपत्ति आवेदन दिनांक 11. 07.2020 को सक्षम पदाधिकारी-सह-जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा (विपक्षी संख्या-2) को साक्ष्य के साथ दिया गया। जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इनका कहना है कि उक्त अर्जित भूमि मौजा-पटुआहा की एन०एच० 107 मुख्य मार्ग से सटे दक्षिण बेशकीमती भूमि है। तथा मुआवजा सही तरीके से निर्धारित नहीं होने के कारण आवेदक को काफी नुकसान वो परेशानी हो रही है। तथा यह कि प्रश्नगत अर्जित भूमि का किस्म आवासीय/व्यवसायिक के रूप में पूर्व से निर्धारित प्रति डी० मो० ६० छ: लाख पचास हजार रुपये के दर से मुआवजा राशि (Compensation Amount) भुगतान करने हेतु आदेश पारित किया जाय।</p> <p>विपक्षी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक-450-2, दिनांक 09.05.2024 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि NH Act-1956 के धारा 3A (06.05.2015) एवं धारा 3D (02.05.2016) के तहत अधिसूचित अधिसूचना में खेसरा सं०-631 का किस्म/प्रकृति 'आवासीय' दर्ज है। समाहर्ता, सहरसा द्वारा गठित उचित</p>	मौजा/ थाना	खाता/ खेसरा	रकवा (ए०)	भूमि की प्रकृति	Date of 3A	Date of 3D	दर (प्रति एकड़ि)	कुल मुआवजा (रुपये)	अध्युक्ति	पटुआहा/ 187	209/ 631	0. 022 69	कृषि	06.05. 2015	02.05. 2016	32,86,744/-	1,91,228.35	पंचाट सं०-8	
मौजा/ थाना	खाता/ खेसरा	रकवा (ए०)	भूमि की प्रकृति	Date of 3A	Date of 3D	दर (प्रति एकड़ि)	कुल मुआवजा (रुपये)	अध्युक्ति													
पटुआहा/ 187	209/ 631	0. 022 69	कृषि	06.05. 2015	02.05. 2016	32,86,744/-	1,91,228.35	पंचाट सं०-8													



13.06.2025

प्रतिकर पुनर्वासन एवं पुर्नव्यवस्थापन समिति द्वारा मौजा-पटुआहा/187 अंतर्गत स्थल निरीक्षणोपरांत समर्पित प्रतिवेदन में खेसरा सं0-631 के भूमि का किस्म/प्रकृति 'कृषि' दर्ज है। छ: सदस्यीय उचित प्रतिकर पुनर्वासन एवं पुर्नव्यवस्थापन समिति से प्राप्त स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन के आलोक में विहित रीति से मूल्य की गणना कर NH Act-1956 की धारा 3G के तहत मौजा-पटुआहा/187 के अंकित खेसरों/भूमि का संशोधित प्राक्कलन दिनांक-26.11.2019 को NHAI से स्वीकृति हेतु भेजा गया, जिसकी NHAI के द्वारा दिनांक-15.01.2020 को स्वीकृति उपरांत पंचाट तैयार कर सभी ऐतों को दिनांक-29.02.2020 को नोटिस निर्गत किया गया।

विपक्षी NHAI का कहना है कि दाखिल जबाब/बहस के अनुसार प्रस्तुत वाद पोषणीय नहीं है। Petitioner द्वारा NH Act-1956 की धारा 3A (उपधारा-3) के तहत प्रकाशित गजट के विरुद्ध निर्धारित समय सीमा के अन्दर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। Petitioner द्वारा 3A अधिसूचना निर्गत होने से पूर्व प्रश्नगत भूमि को कृषि से गैर कृषि उपयोग हेतु सक्षम प्राधिकार से सम्परिवर्तन (Conversion) नहीं कराया गया। Petitioner का उक्त अधिग्रहित भूमि को व्यवसायिक श्रेणी में किया गया दावा गलत एवं अवैध है। इनका कहना है कि समाहर्ता, सहरसा की अध्यक्षता में मूल्यांकन समिति द्वारा अर्जित भूमि को कृषि योग्य मानते हुए MVR एवं Highest rate of sale deeds की तुलना के आधार पर दर निर्धारण हेतु केन्द्रीय मुल्यांकन समिति को भेजा गया। इस प्रकार इनकी ओर से प्रस्तुत वाद खारिज योग्य बताया गया।

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना हेतु अर्जित भूमि का किस्म/मुआवजा राशि का निर्धारण National Highway Act, 1956 एवं RFCTLARR Act (भू-अर्जन अधिनियम) 2013 की धारा-26 में निरूपित है।

National Highway Act, 1956 की धारा 3G(7) में वर्णित प्रावधान के अनुसार-
(7) The Competent authority or the arbitrator while determining the amount under sub-section (1) or sub-section (5), as the case may be, shall take into consideration-

- (a) the market value of the land on the date of publication of the notification under section 3A;
- (b) the damage, if any, sustained by the person interested at the time of taking possession of the land by reason of the severing of such land from other land;
- (c) the damage, if any, sustained by the person interested at the time of taking possession of the land, by reason of the acquisition injuriously affecting his other immovable property in any manner, or his earnings;
- (d) if, in consequences of the acquisition of the land, the person interested is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses, if any incidental to such change.

RFCTLARR Act (भू-अर्जन अधिनियम) 2013 की धारा-26(1) के अनुसार -
Determination of market value of land by collector- (1) The Collector shall adopt the following criteria in assessing and determining the market value of the land, namely:-

- (a) the market value, if any, specified in the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899) for the registration of sale deeds or agreements to sell, as the case may be, in the area, where the land is situated; or
 - (b) the average sale price for similar type of land situated in the nearest village or nearest vicinity area; or
 - (c) consented amount of compensation as agreed upon under sub-section 2 of section 2 in case of acquisition of lands for private companies or for public private partnership projects,
- Whichver is higher:

Provided that the date for determination of market value shall be the date on which the notification has been issued under section 11.



